



हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त एक अदद अवैध बंदूक व कारतूस के साथ गिरफ्तार

थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय के हिस्ट्रीशीटर नं0 145ए अमित कुमार उर्फ अजयपाल साहू पुत्र राधेश्याम उर्फ ओम प्रकाश साहू निवासी मोहल्ला चांद थोक रेलवे स्टेशन के पास कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को एक अदद अद्धी बंदूक 12 बोर व 02 अदद कारतूस जिंदा 12 बोर के साथ रेलवे स्टेशन माल गोदाम के पास कस्बा सुमेरपुर में गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 111/96 धारा 395,397,364ए आईपीसी
2. मु0अ0सं0 66/96 धारा 25 ए एक्ट
3. मु0अ0सं0 806/96 धारा 302/323 आईपीसी
4. मु0अ0सं0 29/97 धारा 364ए, आईपीसी थाना सजेती कानपुर
5. मु0अ0सं0 29/97 धारा 364ए आईपीसी
6. मु0अ0सं0 32/97 धारा 307/364ए/323/506 आईपीसी
7. मु0अ0सं0 346/21 धारा 447/448/323/506 आईपीसी
8. मु0अ0सं0 347/21 धारा 3/25 A Act

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 श्री दीपक तिवारी
2. हे0का0 श्री श्यामबाबू तिवारी
3. का0 संदीप कुमार

